राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर 302004

दूरभाष 0141-2256602 Email:[redacted]

क्रमांकः–एफ–9/सा.प्र./स्टोर/2024/ दिनांकः

परिपत्र

विश्वविद्यालय में वर्दी/एप्रैन की पात्रता रखने वाले कार्यरत समस्त कर्मचारी यथा– कुक, चौकीदार, वाहन चालक, पुस्तक परिचर, प्रयोगशाला परिचर/सहायक, बागवान/सहायक बागवान, दफ्तरी, प्रेस व अभियंता कार्यालय के तकनीकी कर्मचारी, चिकित्सा अधिकारी, फर्राश तथा अन्य समस्त पुरूष/महिला सहायक कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–9/सा.प्र./स्टोर/2000/257 दिनांक 07.06.2000 के क्रम में निर्धारित वर्दी पहन कर कार्यस्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जो निम्नानुसार है:–

- समस्त पुरूष सहायक कर्मचारियों हेतु वर्दी:– ग्रीष्मकाल में ग्रे कलर की पेंट व सफेद रंग की कमीज तथा शीतकाल में नीले रंग की पेंट व नीले रंग का ब्लेजर।
- समस्त महिला सहायक कर्मचारियों हेतु वर्दी:– ग्रीष्मकाल में नीले आसमानी रंग की साड़ी व ब्लाउज तथा शीतकाल में नीले आसमानी रंग की साड़ी व ब्लाउज के ऊपर नेवी ब्ल्यू रंग का कोट/कार्डीगन।
- समस्त एप्रैनधारी कर्मचारी हेतु:– एप्रैन

नोट:– दिनांक 07.10.2024 से उक्तानुसार पालना नहीं किये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी को वर्दी/एप्रैन भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा, साथ ही विश्वविद्यालय नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत है।

ह०

कुलसचिव

क्रमांकः–एफ–9/सा.प्र./स्टोर/2024/2604-49 दिनांकः 30/9/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अधिष्ठाता/प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/उपकुलसचिव/प्रभारी अधिकारी, समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाइयाँ, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है आपके अधीन कार्यरत कर्मचारियों का वर्दी भत्ता के लिए आवेदन प्रपत्र अग्रेषित/प्रमाणित करने से पूर्व उक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
2. वित्तीय नियन्त्रक व वित्तीय सलाहकार/मुख्य कुलानुशासक रा.वि.वि., जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
5. रक्षित पंजिका।

30.9.2024

उप कुलसचिव